

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
मनोज राय एवं अन्य
बनाम
बिहार राज्य
2018 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 507

[के साथ 2018 का आपराधिक अपील (खं. पी) संख्या 484]

1 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या गंगा ब्रिज थाना केस संख्या 2015 का 34 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 2016 का 247 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-II, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302, 404, 34—शस्त्र अधिनियम, 1959—धारा 25—हत्या—अपीलकर्ताओं द्वारा मुखबिर के पुत्र की हत्या कर दी गई—अपीलकर्ताओं ने मुखबिर के पुत्र पर आग्नेयास्त्र और दरांती से हमला किया—सभी आरोपी व्यक्ति मुखबिर के सगे भाई और पड़ोसी हैं—मृतक पर गोली चलाने से पहले अपीलकर्ताओं द्वारा मुखबिर को पास की खाई में धकेल दिया गया था।

निर्णय: विभिन्न अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई भौतिक विरोधाभास हैं, जो घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहे हैं - अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा - दोनों अपीलों को अनुमति दी गई - दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया - अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

(पैराग्राफ 35, 38, 39)

न्याय दृष्टान्त

दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1953 एससी 364; बलराजे उर्फ त्रिंबक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एससीसी 673; गुना महतो बनाम झारखंड राज्य, (2023) 6 एससीसी 817; हनुमंत गोविंद नरगुंदकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1952) 2 एससीसी 71; मसल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1965 एससी 202; हरबंस कौर और अन्य. बनाम हरियाणा राज्य, (2005) 9 एससीसी 195; नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 14 एससीसी 150—पर भरोसा किया गया।
भर्दाबाद और गोविंद भाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1983 एससी 753—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; शस्त्र अधिनियम, 1959।

मुख्य शब्दों की सूची

आग्नेयास्त; दरांती; हत्या; प्रत्यक्षदर्शी; विभिन्न अभियोजन गवाहों के बयानों में कई भौतिक विरोधाभास।

प्रकरण से उत्पन्न

गंगा ब्रिज थाना केस संख्या 34/2015 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 247/2016 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित दिनांक 09.03.2018 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 14.03.2018 के सजा के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री एस. के. लाल, अधिवक्ता; श्री रुदल सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री राजेंद्र कुमार झा श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो.अ.
सूचना देने वाले के लिए: श्री मनीष चंद्र गांधी, अधिवक्ता

(2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 484 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री अमरनाथ सिंह,वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार आलोक, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स. लो. अ.
सूचना देने वाले के लिए: श्री मनीष चंद्र गांधी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स तैयार किया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 507

वर्ष-2015 का थाना मामला सं.34 से उत्पन्न थाना- गंगान्निज जिला-वैशाली

=====

- 1. मनोज राय,पिता - कैलाश राय,
- 2. कैलाश राय पिता स्वर्गीय जुगेश्वर राय, दोनों निवासी गाँव- दीवान टोक, थाना-गंगा पुल, जिला - वैशाली।

... .. अपीलकर्ताओं

बनाम

बिहार राज्य

.... .. उत्तरदाताओं

=====

2018 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 484

वर्ष-2015 का थाना मामला सं.34 से उत्पन्न थाना -गंगान्निज जिला-वैशाली

के साथ

=====

- 1. बच्चा राय, पिता स्वर्गीय जगदेव राय,
 - 2. बिपिन राय, पिता बच्चा राय, दोनों, निवासी - गाँव-दीवान टोक, थाना -गंगा पुल, जिला-वैशाली
- अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2018 के आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 507 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री एस. के. लाल, अधिवक्ता,

श्री रुदल सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स. लो. अ.

सूचना देने वाले के लिए : श्री मनीष चंद्र गांधी, अधिवक्ता

(2018 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 484 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री अमरनाथ सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री आलोक कुमार आलोक, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स. लो. अ.

सूचना देने वाले के लिए : श्री मनीष चंद्र गांधी, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा)

दिनांक : 01-09-2023

माननीय अधिवक्ता श्री एस. के. लाल, जिनकी सहायता श्री रुदल सिंह ने की, जो आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 507 वर्ष 2018 में अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों की ओर से उपस्थित हुए; माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरनाथ सिंह, जिनकी सहायता श्री आलोक कुमार आलोक ने की, जो आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 484 वर्ष 2018 में अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों की ओर से उपस्थित हुए; माननीय अपर लोक अभियोजक श्री

सुजीत कुमार सिंह, जो राज्य की ओर से उपस्थित हुए; तथा माननीय अधिवक्ता श्री मनीष चंद्र गांधी, जो सूचक की ओर से उपस्थित हुए, को सुना ।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों को हाजीपुर में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, वैशाली द्वारा पारित क्रमशः 09.03.2018 और 14.03.2018 के फैसले और दण्डादेश को चुनौती देते हुए प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को 2015 के गंगा पुल थाना मामला संख्या 34 से उत्पन्न 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 247 में दोषी ठहराया गया था, जिसमें उपरोक्त नामित अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (संक्षेप में भा.द.स.) के तहत आजीवन कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया था और उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 25,000/- और जुर्माने का भुगतान न करने पर 4 (चार) महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। भा. द. स. की धारा 404/34 के तहत एक अलग दोषसिद्धि दर्ज की गई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 5,000/- जहां, जुर्माना देने में विफल रहने पर, एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 1, अर्थात् मनोज राय को 2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 507 में और अपीलकर्ता संख्या 2, अर्थात् बिपिन राय को 2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 484 में अलग-अलग 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ, जहाँ जुर्माना न चुकाने पर उन्हें 2 महीने का साधारण कारावास भुगतना पड़ा । ऊपर उल्लिखित जुर्माने की राशि पीड़िता के पिता को देने का निर्देश दिया गया। ऊपर दर्ज सभी सजाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया गया

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त विवरण, जो सूचक (अ.सा.-6) बिंद राय, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता बैधनाथ राय, की लिखित सूचना से प्राप्त होता है, जिसे उप-निरीक्षक सरफराज अहमद द्वारा दिनांक 19.04.2015 को प्रातः 05:30 बजे दर्ज किया गया। सूचक (अ.सा.-6) ने बताया कि दिनांक 19.04.2015 को, वह अपने पुत्र पंकज राय, उम्र लगभग 24 वर्ष, के साथ अपनी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल (पंजीकरण संख्या BR31N 6476) से नवादा कला जा रहे थे। लगभग अपराह्न 04:00 बजे, जब वे कपिलेश्वर चौक के पास पहुँचे, तो उन्होंने अपने पुत्र से मोटरसाइकिल रोकने को कहा, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक क्रिया हेतु जाना था। उक्त मोटरसाइकिल को एक चाय की दुकान के पास रोका गया था। प्राकृतिक क्रिया पूरी करने के

तुरंत बाद, उन्होंने कपिलेश्वर चौक पर आम जनता की चिल्लाहट तथा अपने पुत्र की आवाज़ सुनी। संदेहवश वे कपिलेश्वर चौक स्थित एक चाय की दुकान पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि मनोज राय, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता कैलाश राय, तथा बिपिन राय, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता बच्चा राय, दोनों निवासी दीवान टोक; अशोक राय उर्फ बुच्छू राय, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता सकलदेव राय, निवासी सरायपुर, थाना गंगा ब्रिज, जिला वैशाली — ये सभी उनके पुत्र पंकज राय को घेरकर बंदूक ताने खड़े थे। वहीं, बच्चा राय, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता स्व. जगदेव राय, तथा कैलाश राय, उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता जुगेश्वर राय, निवासी दीवान टोक, थाना गंगा ब्रिज, जिला वैशाली, हाथ में हंसिया लिये हुए थे और कह रहे थे कि आज वे 'पंकजवा' (सूचक के पुत्र) का खेल खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने उन्हें बहुत परेशान किया है। स्थिति देखकर, सूचक ने शोर मचाया और अपने पुत्र को बचाने का प्रयास किया, किंतु सभी अभियुक्तोंगण, जिनमें उपर्युक्त अपीलकर्ताओं - अभियुक्तों भी शामिल थे, ने उन्हें धक्का देकर पास की खाई में गिरा दिया। इसके बाद, मनोज राय और बिपिन राय (दोनों अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों) तथा अशोक राय उर्फ बुच्छू राय ने उनके पुत्र पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उनका पुत्र बचने के प्रयास में थोड़ी दूरी तक भागा, किंतु गिर पड़ा। तत्पश्चात, बच्चा राय और कैलाश राय (दोनों अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों) ने हंसिये से उनके पुत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सूचक ने फिर शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। नतीजतन, अभियुक्तोंगण, जिनमें अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों भी शामिल थे, उनके पुत्र की मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल (सिम संख्या 7250162108) लेकर, हवा में पिस्तौल और बंदूक लहराते हुए, वहाँ से भाग गए। सूचक अपने पुत्र के पास पहुँचे और उसकी सांसें जाँचीं, तो पाया कि वह अब जीवित नहीं है। घटना का कारण, जैसा कि सूचक ने अपनी लिखित सूचना में बताया, यह है कि उपरोक्त पाँचों अभियुक्तों उनके सगोत्री रिश्तेदार और पड़ोसी हैं, जिन्होंने पूर्व में भी कई बार पुराने पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें धमकी दी थी। उन्होंने यह धमकी भी दी थी कि वे सूचक के इकलौते पुत्र को मार डालेंगे, ताकि उनकी वंश-परंपरा समाप्त हो जाए।

4. उपरोक्त लिखित सूचना के अनुसरण में, अनुसंधान एजेंसी द्वारा जाँच पूरी की गई और तत्पश्चात, जाँच पूरी होने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा 404/34 और साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आरोप-पत्र संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी ने, जाँच के दौरान संकलित

सामग्री के आधार पर, संज्ञान लिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अंतर्गत मामले को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित कर दिया, जहाँ से यह मामला विचारण और निपटान के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- IV, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर, 2016 के सत्र वाद संख्या 247 के रूप में पंजीकृत किया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, उपरोक्त नामित अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 302 और 404 के साथ भा.द.स. की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपों की व्याख्या की और उनके "दोषी नहीं" होने की दलील पर, मुकदमा आगे बढ़ाया गया, जहाँ उपरोक्त नामित अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 302 के साथ भा.द.स. की धारा 404 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

6. विचारण के दौरान, अभियोजन ने अपने मामले को प्रमाणित करने हेतु कुल 10 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया, जिनमें अ.सा.1 दिलीप राय, अ.सा.2 राकेश राय, अ.सा.3 उमेश राय, अ.सा.4 नारायण राय, अ.सा.5 वकील राय, अ.सा. 6 बिंदा राय (सूचनाकर्ता), अ.सा.7 डॉ. शैलेंद्र कुमार वर्मा (जिन्होंने शव परीक्षण किया), अ.सा.8 शिवजी राय, अ.सा. 9 अमरजीत कुमार (मामले के अन्वेषण अधिकारी) और अ.सा. 10 ध्रुव नारायण (द्वितीय अन्वेषण अधिकारी) शामिल हैं।

अभियोजन ने अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रदर्श पर भी भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं:

Ext.1:- पूछताछ पर उमेश राय और दिलीप राय के हस्ताक्षर।

Ext.2:- शव परीक्षण रिपोर्ट।

Ext.3:- सूचना देने वाले बिंदा राय का फर्द-ए-बयान।

Ext.3/1:- मामला दर्ज करना।

Ext.4:- चार्ज शीट।

Ext.5:- पूछताछ रिपोर्ट।

Ext.6:- जब्ती सूची।

Ext.7:- शहर थाना में आदेश.475/11।

Ext.8:- फर्द-ए-बयान।

Ext.9:- जब्ती सूची।

Ext.10:- 2016 का वैशाली थाना का मामला सं.232 का प्राथमिकी रिपोर्ट

Ext.11:- जब्ती सूची की प्रमाणित प्रति।

Ext.12:- गंगा ब्रिज थाना मामला संख्या 2016 के दिनांक 20.09.2016 की प्राथमिकी ।

Ext.13:- दिनांक 19.09.2016 का उमेश राय का आवदेन।

Ext.14:- धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद, उमेश राय बनाम अशोक राय।

Ext.15:- अभियुक्तों बिपिन कुमार द्वारा दायर दिनांक 01.12.2016 को दाखिल जवाब ।

Ext.16:- सहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा भेजी गई दिनांक 20.12.2016 को भेजी गयी सूचना ।

7. विचारण के दौरान, विद्वान निचली न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के बयान दर्ज किए और मुकदमे के दौरान सामने आए सभी आपत्तिजनक सबूत उनके सामने रखे, जिनसे उन्होंने इनकार किया और अपनी पूरी बेगुनाही दिखाई।

8. बचाव पक्ष में अभियुक्तों अपीलकर्ताओं ने एक बचाव पक्ष के गवाह डॉ. सुमन कांत सिंह से पूछताछ की और निम्नलिखित दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया:

Ext.A:- गंगा पुल थाना मामला सं. 78/2013

Ext.B:- गंगा पुल का आरोप पत्र थाना मामला सं. 78/2013

Ext.C:- डॉक्टर का परामर्श ।

Ext.C/1:- परामर्श दिनांक 25.04.2005।

9. मुकदमे के दौरान, उपरोक्त गवाहों के बयान और प्रदर्शित दस्तावेजों से, विद्वान विचारण न्यायालय ने भा. द. स. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत उपरोक्त नामित अपीलकर्ता-अभियुक्तों को दोषी ठहराने का आदेश दर्ज किया, जिसमें उन्हें भा. द.स. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास, भा. द. स. की धारा 404 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 साल और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5 साल की सजा का आदेश दिया गया है। दोषसिद्धि और सजा के उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

10. अतः यह अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क-

अभियुक्तों

11. अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों की दोषसिद्धि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाह, जो घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहे हैं, या तो रिश्तेदार हैं या इच्छुक गवाह हैं और इस तरह उनका बयान विश्वसनीय नहीं लग रहा है। विद्वान अधिवक्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि अ.सा.-3 भी इस घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि मृतक को पहनने के बारे में उनके द्वारा दिया गया विवरण जांच रिपोर्ट में उल्लिखित पहनने के विवरण से मेल नहीं खाता है। यह इंगित किया जाता है कि सूचना देने वाला भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बयान से यह बहुत स्पष्ट है कि उसे एक चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था और इसके अलावा, उसके बयान से यह बहुत स्पष्ट है कि वास्तविक घटना के दौरान, वह खाई के अंदर था जहां से उसे जनता द्वारा उठाया गया था और उस समय तक अपीलकर्ता-आरोपी घटना स्थल से भाग गए थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित चाय की दुकान, जहाँ घटना हुई थी, की जाँच नहीं की गई थी, जो वर्तमान घटना के एक स्वतंत्र चश्मदीद थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले के जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि उन्हें खाली कारतुस नहीं मिले

और घटना स्थल से खून से सना मिट्टी एकत्र नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता ने जाँच अधिकारी के बयान पर प्रकाश डाला, जहाँ उन्होंने बयान दिया कि अंधाधुंध गोलीबारी के समर्थन में घटना स्थल पर कुछ भी संकेत नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया था। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह भी बताया गया है कि यह स्पष्ट रूप से सूचना देने वाले (अ.सा.) कि अपीलकर्ता-अभियुक्तों को सूचना देने वाले के मृत बेटे पर उसके फर्द ए-बयान के अनुसार केवल बंदूक की ओर इशारा किया गया था, जबकि, अपने बयान में उसने बंदूक और पिस्तौल दोनों के बारे में कहा था, जो घटना के चश्मदीद गवाह होने के उसके दावे के बारे में संदेह पैदा करता है।

12. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अ.सा. -5 वकील राय से न तो जाँच अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई, न ही उनका नाम आरोप-पत्र के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई और इस प्रकार, दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत उनके बयान के अभाव में, अपीलकर्ता-अभियुक्तों को मुकदमे के दौरान उनके कथन का खंडन करने के उनके मूल कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 313 (बी) के तहत अभियुक्तों की पूछताछ भी दोषपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करके नहीं की गई है, और यह स्थापित कानून के सिद्धांतों की अवहेलना करके बहुत ही लापरवाही से की गई प्रतीत होती है।

13. तर्क को समाप्त करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया जैसा कि निम्नलिखित मामलों में बताया गया है:

- i. *बलराजे @त्रिम्बक बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2010) 6 एससीसी 673]*
- ii. *दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364)*
- iii. *मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202)*
- iv. *हरबंस कौर और ए.एन.आर. बनाम हरियाणा राज्य, [(2005) 9 एस. सी. 195]*
- v. *नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2007) 14 एससीसी 150]*
- vi. *हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [(1952) 2 एस. सी. सी 71]*

राज्य के लिए विद्वान स. लो. अ. का तर्क:

14. विद्वान स. लो. अ. द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई थी और किसी भी प्रकार के बाद के विचार के लिए जगह देकर कोई संदेह पैदा करने में कोई देरी नहीं की गई है। प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले का सूचक (अ.सा.-6) पिता था, जो पूरे समय अपने मृत पुत्र के साथ था और घटनास्थल पर मौजूद था। प्रस्तुत किया गया है कि उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। विद्वान एपीपी ने आगे बताया कि सूचक के अलावा अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में घटना का समर्थन किया और उनके बयान को केवल इस आधार पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि वे मृतक के रिश्तेदार हैं, क्योंकि निर्दोष व्यक्तियों को फंसाकर किसी वास्तविक अपराधी को बचाने का कोई कारण नहीं दिखता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मामूली विरोधाभास बहुत स्वाभाविक हैं और गवाहों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे विचाराधीन अपराध के प्रत्येक विवरण को याद रखने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी रखते हों। यह प्रस्तुत करते समय विद्वान एपीपी ने *भारदाबाद और गोविंद भाई बनाम गुजरात राज्य* की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि *एआईआर 1983 एस.सी. 753* में प्रतिवेदित किया गया है। विद्वान एपीपी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना के दौरान किए गए हमले और चोट का तरीका मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट से पूरी तरह मेल खाता है, जो मृतक का शव परीक्षण करने वाले अ.सा. -7 के बयान से भी पता चलता है।

साक्ष्य की विवेचना:

15. अपीलकर्ताओं और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर ध्यान देने और अभिलेख के अवलोकन से, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिन मुद्दों पर वर्तमान अपीलों में विचार किया जाना आवश्यक है, वे हैं:

(क) क्या अ.सा. -1, नाम दिलीप राय, अ.सा.-2, नाम राकेश राय, अ.सा. -3, नाम उमेश राय, अ.सा. -4, नाम नारायण राय, अ.सा. -5, नाम वकील राय , अ.सा. -6, नाम बिंदा राय, जो इस मामले के सूचक भी हैं, के दावे को घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और उनके बयानों को देखते हुए उन्हें भरोसेमंद कहा जा सकता है।

(ख) क्या अ.सा.-1, अ.सा.-2 और अ.सा.-6 के बयान को केवल उनके रिश्तेदार या स्वार्थी/पक्षपाती गवाह होने के आधार पर खारिज किया जा सकता है?

(ग) क्या अ.सा. -3, अ.सा. -4 और अ.सा. -5 के बयानों को संयोगवश गवाह के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

(घ) और अंत में, क्या अभियोजन पक्ष ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित किया है या उसे अपीलीय स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए।

16. इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, मुकदमे के दौरान सामने आए उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर चर्चा करना उचित होगा।

17. अ.सा. -1 दिलीप राय हैं, जो मृतक पंकज राय के बहनोई हैं, उन्होंने इस घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष खुद का दावा किया, जो लगभग 09.04.2015 को लगभग 04 :00 बजे अपराह्न पर हुई थी जो रविवार का दिन था। उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक वह कपिलेश्वर चौक पर चाय पी रहे थे, जो घटना का स्थान है। यह कहा गया है कि जब बिंदा राय (सूचक/अ.सा.-6) मल त्याग के लिए गए थे, बिपिन राय, मनोज राय (दोनों अपीलकर्ताओं -आरोपी) और अशोक राय ने मृतक पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनके द्वारा कहा गया है कि मृतक पंकज राय गोली लगने के बाद थोड़ी दूरी तक भागे और उसके बाद वह नीचे गिर गए, जिसके बाद कैलाश राय और बच्चा राय (दोनों अपीलकर्ताओं -आरोपी) ने उन्हें दरांती (हंसुआ) से काटना शुरू कर दिया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया और डेढ़ घंटे के बाद गंगा ब्रिजथाना से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों की पहचान की। अपनी जिरह में उन्होंने निचली न्यायालय के समक्ष कहा कि पंकज राय (मृतक) और उनके पिता बिंद राय (सूचक/अ.सा.-6) पश्चिम दिशा से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने औपचारिक रूप से उनके साथ बातचीत नहीं की थी। वह चाय की दुकान के मालिक का नाम नहीं बता पाए। उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया कि वह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि

मृतक और अपीलकर्ताओं अभियुक्तों के बीच भूमि विवाद था। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि वह घटना स्थल यानी कपिलेश्वर चौक पर मौजूद नहीं थे।

18. अ.सा. -2, राकेश राय है, जो मृतक पंकज राय का बहनोई भी है और उसने भी घटना का चश्मदीद होने का दावा किया, क्योंकि वह घटना स्थल पर उपलब्ध था, जब वह चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। जाँच-इन-चीफ के समक्ष उनका बयान अ.सा. - 1 के समान है और संक्षिप्तता के लिए इसके साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जिरह में, उन्होंने खुलासा किया कि अपीलकर्ताओं-आरोपी घटना के बाद उत्तर दिशा की ओर भाग गए, जो 10 मिनट तक जारी रही, जिसमें कुल पांच (5) गोलीबारी की गई। उन्होंने इस घटना को 30-35 फुट की दूरी से देखा।

19. अ.सा. -3, उमेश राय है, वह भी घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहा है और घटना के दिन लगभग 04:00 बजे अपराह्न, वह कृषि क्षेत्र/ खेत से वापस लौट रहा था और जब वह कपिलेश्वर चौक पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि अशोक राय, मनोज राय (अपीलकर्ता-आरोपी), बिपिन राय (अपीलकर्ता-आरोपी) ने पंकज पर गोलीबारी शुरू कर दी, जहां गोली लगने के बाद पंकज थोड़ी दूरी तक भाग गया और उसके बाद कैलाश राय और बच्चा राय (दोनों अपीलकर्ताओं -आरोपी) उसे दरांती से काटने लगे। पंकज राय की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-अभियुक्तों की पहचान की और गवाही दी कि उन्होंने जाँच के दौरान अ. नि. के समक्ष बयान दिया था। वह दिलीप राय (अ.सा.-1) के साथ जांच रिपोर्ट का गवाह भी प्रतीत होता है, जिसे न्यायालय के समक्ष क्रमशः एक्सट और एक्सट 1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर पंकज को चोट लगी थी, वह खून से सना हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि पंकज (मृतक) के कपड़े भी खून से सने हुए थे और गोली लगने से उनमें छेद हो गया था। मृतक पंकज की पोशाक पहनने का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि वह लाल टी-शर्ट और काले जींस पैंट में थे, जिसमें गर्दन, दाहिने गाल और दाहिने कंधे पर कटने के निशान थे। उन्होंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि वह घटना के समय मौजूद नहीं थे और मृतक के चचेरे भाई होने के नाते गलत तरीके से पदच्युत कर दिया।

20. अ.सा.4 भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहा है। उसने बताया कि घटना की तारीख को शाम लगभग 4:00 बजे वह कपिलेश्वर चौक पर था और उसने देखा कि अशोक राय, बिपिन राय (अपीलकर्ता-अभियुक्तों) और मनोज राय (अपीलकर्ता-अभियुक्तों) पंकज राय पर गोली चला रहे थे, जो मौके पर ही गिर गया। उसने मुख्या परीक्षक के समक्ष कहा कि किसी ने पंकज को काट दिया । उसने बताया कि उसने अवर निरीक्षक के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया और विद्वान निचली न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-अभियुक्तों, कैलाश राय, बच्चा राय, बिपिन राय और मनोज राय की पहचान की। जिरह में उसने बताया कि वह पंजीकरण संख्या BR31G 6358 वाले वाहन का मालिक-सह-चालक है, जिसे श्याम राय नाम के व्यक्ति से खरीदा गया था, लेकिन अभी भी पंजीकरण प्रमाणपत्र श्याम राय के नाम पर है और उसके पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया है। जिरह के दौरान, उसने यह बयान दिया कि वह सूचना देने वाले पक्ष का चचेरा भाई है और घटना के दिन वह अपनी मैजिक गाड़ी, जिसका पंजीकरण संख्या BR31G 6358 है, से गेहूँ लादकर परमेश्वर राय नामक व्यक्ति को पहुँचाने आ रहा था। उसने गोलीबारी के कारण घटनास्थल पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और इस मामले के उपनिरीक्षक के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। उसने इस बात से इनकार किया कि पुलिस के समक्ष उसने यह कहा था कि उसे घटना के बारे में बाद में पता चला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गोलीबारी नजदीक से की गई थी और जब कथित गोलीबारी की गई, तब मृतक की मोटरसाइकिल खड़ी थी। उन्होंने बताया कि एक (1) 'लग्गी' (10-11 हाथ के बराबर) की दूरी पर बिंदा राय (अ.सा. -6) प्रार्थना कर रहे थे और उसके बाद वे गड्ढे में गिर गए। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय चाय की दुकान का मालिक, यानी "कपिलेश्वर चायवाला" अपनी दुकान पर मौजूद था, और वहां कोई मौजूद नहीं था। वह पुलिस के आने तक वहीं रहे, और पुलिस घटना के लगभग 45 मिनट बाद आई। उन्होंने बताया कि जिस जगह पंकज (मृतक) को गोली लगी थी, वह खून से सना हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद लंबित है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मृतक अपराधी था और इस घटना से पहले उस पर 4-5 मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव का खंडन किया कि पिछली दुश्मनी के कारण अपीलकर्ताओं-आरोपियों को झूठा फंसाया गया था।

21. अ.सा.-5, वकील राय हैं, जो घटना के चश्मदीद होने का भी दावा कर रहे हैं और घटना की तारीख लगभग 04 :00 बजे अपराह्न, जब वह अपने खेत से लौट रहे थे,

तो मृतक पंकज राय और बिंद्रा (सूचक /अ.सा. -6) मोटरसाइकिल पर एक साथ आ रहे थे और मोटरसाइकिल रोकने के बाद बिंद्रा राय मल त्याग के लिए गए और इस बीच अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि गोलीबारी मनोज राय द्वारा शुरू किया गया, बिपिन राय (दोनों अपीलकर्ताओं-आरोपी) और अशोक राय, परिणामस्वरूप, गोली लगने के बाद पंकज राय जमीन पर गिर गए, जहाँ, कैलाश राय और बच्चा राय, क्योंकि वे दरांती (हसुआ) से लैस थे, उन्हें काटने लगे। वे पंकज राय (मृतक) की मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर चले गए और आगे बताया कि यह घटना कपिलेश्वर चौक पर हुई थी। उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं-आरोपी मनोज राय, बिपिन राय और बच्चा राय की पहचान की और उन अभियुक्तों की पहचान करने का भी दावा किया, जो न्यायालय में मौजूद नहीं थे। जिरह पर, उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी कि उनका पंकज के साथ कोई संबंध नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा एक सवाल को आगे बढ़ाने पर, वह कर्णपुरा गाँव के चंद्रेश्वर राय को जानता है, उसने कहा कि हालांकि वह कर्णपुरा के चंद्रेश्वर राय को जानता है लेकिन वह उसका रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि "फुआ" (पिता की बहन) की शादी गरदनिया चौक के कैलाश राय से की गई थी और पंकज (मृतक) की शादी उक्त कैलाश राय की बेटी से की गई थी। उन्होंने मैदान के विवरण के बारे में बताया कि जहाँ से वे आ रहे थे और आगे कहा कि वे मारी गई गोली और दरांती से हुई चोट का विवरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि गोली की चोटें थीं। उन्होंने आगे अपनी जिरह कि जब तक उन्होंने पंकज को देखा, तब तक उन्हें गोली लग चुकी थी। उन्होंने आगे कहा कि खून जमीन पर एक हाथ के बराबर फैला हुआ था, जहाँ पंकज नीचे गिर गया था। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि वह घटना स्थल पर पुलिस के साथ मौजूद था, जहाँ पुलिस ने जमीन पर खून फैला हुआ देखा और खाली कारतूस भी जब्त किए, लेकिन वह पुलिस द्वारा एकत्र किए गए खाली कारतूस की संख्या को दर्ज करने में विफल रहा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके पास सरायपुर गांव में कोई जमीन नहीं है और आगे इस बात से इनकार किया कि वह पंकज (मृतक) के चचेरे भाई हैं। उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया कि वे पंकज के झूठे रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंकज और अपीलकर्ता-अभियुक्तों के बीच लंबित भूमि विवाद के बारे में सुना है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पंकज एक अपराधी था और कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने उसकी हत्या की थी।

22. अ.सा. -6, बिंदा राय हैं, जो इस मामले के सूचक हैं और मृतक के पिता पंकज राय हैं। उन्होंने कहा कि जब वे अपने बेटे पंकज राय (मृतक) के साथ 19.04.2015 को नवादा काला जा रहे थे, तो वे लगभग 4:00 बजे अपराहन कपिलेश्वर चौक पर पहुंचे, मोटरसाइकिल रोकने के बाद, वह मल त्याग करने के लिए 15 लग्गी दूर (एक लग्गी 10 से 11 हाथों के समतुल्य) पूर्व की ओर चला गया और जब वह मल त्याग को कर रहा था, तो कपिलेश्वर चौक पर सार्वजनिक कोलाहल को सुना। वह तुरंत वहाँ पहुँचा और पाया कि मनोज राय (अपीलकर्ता-अभियुक्तों), पिता कैलाश राय, बिपिन राय (अपीलकर्ता-अभियुक्तों), अशोक राय, पिस्तौल उसके बेटे पर ताने हुए थे जहाँ, बच्चा राय, कैलाश राय (दोनों अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों) नुकीली दरांती (हंसुआ) ताने हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा राय और कैलाश राय ने उसे पास की खुदाई में धकेल दिया, सूचना देने वाला उक्त खाई में गिर गया और बीच में, मनोज राय और बिपिन राय (दोनों अपीलकर्ताओं -आरोपी) ने अशोक राय के साथ मिलकर उसके बेटे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उसने शोर मचाया। जब उसका बेटा गिर गया, तो बच्चा राय और कैलाश राय (दोनों अपीलकर्ताओं-आरोपी) ने उसे हंसुआ से काट दिया। इसके बारे में आगे कहा गया है कि वहाँ जमा हुई जनता ने उसे खाई से उठाया और उसके बाद वह अपने बेटे के पास गया, जहाँ उसे अपने बेटे के शव को छूने के बाद पता चला कि वह नहीं रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और एक घंटे के बाद पुलिस वहाँ आ गई। उनके द्वारा कहा गया है कि अपीलकर्ता-आरोपी उनके मृत बेटे की मोटरसाइकिल और मोबाइल ले गए और पश्चिम दिशा में चले गए। जिरह के दौरान, उसने बयान दिया कि उसका फर्द ए बयान अ. नि. , सरफराज अहमद, थाना अध्यक्ष, गंगा पुल थाना द्वारा दर्ज किया गया था। इसे उन्हें पढ़कर सुनाया गया और रिकॉर्डिंग सही पाए जाने के बाद उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिया। उन्होंने सरफराज अहमद और अपने हस्ताक्षर को भी पहचाना। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि रवींद्र राय ने भी वहाँ अपने हस्ताक्षर किया था। उनकी पहचान पर, उक्त फर्दबयान/लिखित जानकारी को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक्स्ट 3 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष कैलाश राय, बच्चा राय, मनोज राय, बिपिन राय (सभी अपीलकर्ताओं -आरोपी) की पहचान की, जो न्यायालय कक्ष के अंदर मौजूद थे। उनके द्वारा यह कहा गया था कि वह एक विजय राय का भाई है, जिसने उसके और पंकज के विरुद्ध गंगा पुल थाना 2023 का मामला सं 78 दर्ज किया था और

विजय राय की ओर से उक्त मामले में, मनोज राय, पिता कैलाश राय, चुन्नी लाल राय ने उनके विरुद्ध पुलिस के समक्ष बयान दिया था। उनके द्वारा यह कहा गया था कि एक अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के साथ भूमि विवाद लंबित था और आगे कहा गया कि अभियुक्तों व्यक्ति उसकी भूमि हड़पना चाहते थे क्योंकि उसका केवल एक बेटा है, लेकिन लिखित में कोई शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। उनके द्वारा कहा गया था कि उनकी जमीन को जबरन हड़प लिया गया था लेकिन उस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि जब वे चाय की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दिलीप राय (अ.सा.-1), उमेश राय (अ.सा.-3), राकेश राय (अ.सा.-2), नारायण राय (अ.सा.-4), उनमें से दिलीप राय रिश्तेदार हैं और बाकी उनके रिश्तेदार नहीं हैं। दिलीप और राकेश उनके बेटे पंकज के बहनोई हैं, पंकज के ससुर का नाम कैलाश राय है, जो गरदानिया चौक के जझुआ के निवासी हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि कुछ लोग पहले से ही चाय की दुकान पर उपलब्ध थे, लेकिन उनका नाम उनकी याद से बाहर है और कहा कि चाय की दुकान किसी कपिलेश्वर राय की थी। उन्होंने कहा कि वे उक्त चाय की दुकान के नियमित आगंतुक थे और उन्होंने वहां कभी किसी नौकर को नहीं देखा। उनके द्वारा यह कहा गया है कि उन्होंने पेशाब करते समय सार्वजनिक कोलाहल सुना, लेकिन गोलीबारी की आवाज के बारे में नहीं सुना और जब उन्होंने पहली बार अपने बेटे को देखा, तो आरोपी व्यक्ति उन्हें पकड़े हुए थे और उस समय उन्होंने अपनी गर्दन पर गोली की चोट और कट के निशान को नहीं देखा। अपीलकर्ता-अभियुक्तों अपने बेटे को खड़े होने की स्थिति में पकड़े हुए थे। यह विशेष रूप से कहा गया है कि पहली बार में उनके बेटे को गोली लगी थी, जहां कुल गोलीबारी लगभग 10-12 राउंड थी, जिसमें से 8 गोलियां उनके बेटे को लगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि घटना स्थल पर खून फैला हुआ था और यह उनके मृत बेटे के पैंट और कपड़ों पर भी फैला हुआ था। उन्होंने कहा कि गोली और दरांती से घायल होने के बाद, अपीलकर्ता-आरोपी पश्चिम दिशा की ओर भाग गए और उसके बाद, वह खाई से बाहर आ गए। उसके द्वारा आगे कहा गया है कि पुलिस एक घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंचती है और तब तक वह अपने मृत बेटे के शव के साथ था। वह अपनी स्मृति से यह एकत्र करने में विफल रहे कि कोई खाली कारतुस था या नहीं। वह यह बताने में भी विफल रहे कि क्या पुलिस ने घटना स्थल पर कोई सामग्री जब्त की है उसने यह भी बयान देने में असफल रहा कि किसकी सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर आई। वह उन व्यक्तियों के नाम भी बताने में असफल रहा, जो पुलिस के आने से पहले घटनास्थल

पर पहुँचे थे। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि उनके बेटे पंकज के विरुद्ध केवल एक मुकदमा है, जिसे उनके भाई ने झूठा दायर किया था। अपनी आगे की जिरह पर, उन्होंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि वकील राय (अ.सा. -5) और उनके मृत बेटे पंकज की पत्नी के बीच संबंध है। वह उस व्यक्ति का नाम भी नहीं बता सका, जिसने उसे खाई से उठाया था। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि भूमि विवाद के कारण उन्होंने अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को झूठा फंसाया और इस बात से भी इनकार किया कि पंकज एक अपराधी था और लूटी गई वस्तुओं के विभाजन के कारण उत्पन्न विवादों के कारण कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी।

23. अ.सा. -7 शैलेंद्र कुमार हैं, जो एक डॉक्टर हैं और उन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया। उसने अपने बयान में निम्नलिखित शब्दों में गवाही दी;

1. मुझे हाजीपुर के सदर अस्पताल में 19-04-15 को तैनात किया गया था। मैंने श्री पंकज कुमार का शव परीक्षण किया, जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी, जिनका जन्म बिंदा राय गाँव दीवान टोक टोला थाना- गंगा पुल, जिला-वैशाली, हाजीपुर रात 11 बजे डॉ. यू. पी. वर्मा इस पोस्टमॉर्टम के पर्यवेक्षक थे। शव को चौकीदार 5/67 प्रदीप भगत द्वारा लाया गया था।

2. सभी अंगों में अकड़न, आँखें बंद और मुँह बंद। बाएँ चेहरे और बाएँ ऊपरी सीने पर बारूद से जलन। निम्नलिखित बाहरी चोटें पाई गई।

1. एक चिरा (फटा हुआ) घाव, भीतर की ओर मुड़ा हुआ तथा झुलसा किनारा, जो खोपड़ी के दाहिने पश्च (ऑक्सिपिटल) भाग में गर्दन से सटा हुआ है, आकार 2 इंच × 1 इंच, गहराई मार्ग तक (प्रवेश घाव)।"

2. दाहिने हंसली क्षेत्र में उल्टे किनारों वाला 5" × 3" आकार का चिर घाव, गहराई तक (निकलने का घाव)।

3. ऊपरी सीने के मध्य भाग में 5" × 2" आकार का कटा हुआ घाव, हड्डी तक गहरा।

4. दाहिने कंधे के क्षेत्र में 3" × ½" आकार का कटा हुआ घाव, हड्डी तक गहरा।

5. दाहिने गाल पर 2" × 1/6" आकार का कटा हुआ घाव, हड्डी तक गहरा।

6. पीठ के मध्य वक्षीय क्षेत्र में उल्टे व जले किनारों वाला 2" × 1" आकार का चिर घाव, गहराई तक (प्रवेश घाव)।

7. 5" × 2" आकार का सीधे किनारों वाला चिर घाव, गहराई तक (निकलने का घाव)।

8. दाहिने निचले वक्ष (थोरैक्स) में उल्टे व जले किनारों वाला 2" × ½" आकार का चिर घाव (प्रवेश घाव)।

9. एक चिरा (फटा हुआ) घाव, बाहर की ओर मुड़ा हुआ तथा झुलसा किनारा, जो पेट में नाभि के पास स्थित है, आकार 2 इंच × 1 इंच, गहराई मार्ग तक (निर्गमन घाव)।"

10. दाहिनी ओर स्थित 2" × ½" आकार का उल्टे व जले किनारों वाला चिर घाव (प्रवेश घाव)।

11. निचले पेट में 3" × 1" आकार का सीधे किनारों वाला चिर घाव (निकलने का घाव)

12. एक चिरा (फटा हुआ) घाव, भीतर की ओर मुड़ा हुआ तथा झुलसा किनारा, जो दाहिनी जांघ की पार्श्व सतह पर स्थित है, आकार 1 इंच × 1/2 इंच, गहराई मार्ग तक (प्रवेश घाव)

13. दाहिनी जांघ की भीतरी सतह पर 2" × 1" आकार का सीधे किनारों वाला चिर घाव (निकलने का घाव)।

3. विच्छेदन करने पर

1. अर्थ और मस्तिष्क पदार्थ बरकरार, छाती गुहा और दोनों फेफड़ों का मध्य भाग क्षतिग्रस्त गंभीर अंतःवक्षीय रक्तस्राव के साथ। हृदय के सभी कक्ष खाली।
2. आमाशय में अर्ध-पचा हुआ भोजन पाया गया।
- 3.. छोटी और बड़ी आंत का कुछ भाग रक्तस्राव से क्षतिग्रस्त।
4. दोनों वृक्क अक्षत एवं पीले रंग के पाए गए।
5. प्लीहा रक्तसंचारित एवं यकृत पीला पाया गया।

मृत्यु के बाद का समय - 6 से 36 घंटे।

मृत्यु का कारण - गंभीर रक्तस्राव और सदमा बन्दूक और धारदार हथियार से लगी उपरोक्त चोटों के कारण।

यह प्रतिवेदन मेरी लिखावट एवं हस्ताक्षर में है तथा इसमें डॉ. यू.पी. वर्मा के भी हस्ताक्षर अंकित हैं। पी.एम. रिपोर्ट एक्सटेंशन-2 के रूप में चिह्नित करें।

X X X X X X

जिरह :-

5. यह पोस्टमॉर्टम पुलिस की मांग पर किया गया था।

6. उन्होंने जाँच रिपोर्ट प्राप्त की लेकिन शव परीक्षण रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया। विद्वान निचली न्यायालय के समक्ष उनके बयान के दौरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं थी।

24. **अ.सा. -8**, शिवाजी राय हैं, जो मृतक के मामा हैं। उनके द्वारा यह कहा गया था कि घटना की तारीख को लगभग 04:00 बजे अपराहन, वह अपनी बहन के घर जा रहे थे और सार्वजनिक कोलाहल सुनने के बाद, वह कपिलेश्वर चौक पर गए और सुना कि बिपिन राय, मनोज राय, (दोनों अपीलकर्ताओं -आरोपी) और अशोक राय ने पंकज राय की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सुना है कि कैलाश राय (अपीलकर्ताओं - अभियुक्तों) और बच्चू राय (अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों) ने पंकज राय को दरांती से काट दिया। यह भी कहा गया कि पुलिस शव को ले गई और उसने घटना स्थल पर पंकज का शव भी देखा। उन्होंने निचली न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों कैलाश राय, बच्चा राय, बिपिन राय, मनोज राय की पहचान की। वह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और घटना के स्थान पर एकत्र अज्ञात जनता की सुनी-सुनाई सूचनाओं के आधार पर उनका पूरा बयान है।

25. अ.सा. -9 अमरजीत कुमार हैं, जो इस मामले के जाँच अधिकारी हैं, जिन्होंने पंकज राय (मृतक) की जाँच रिपोर्ट तैयार की और बताया कि उस पर दिलीप राय (अ.सा. - 1) और उमेश राय (अ.सा. -3) के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पहचान करने पर, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक्सटेंशन 5 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने 15.09.2016 को गवाह बिंदा राय (अ.सा. -6) और शिकंदर की उपस्थिति में पंजीकरण संख्या BR 31N 6476 वाली अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त की, जिसकी पहचान उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष की और उनकी पहचान के आधार पर, उसे एक्सटेंशन 6 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कहा है कि घटना की सूचना मिलने के बाद, उन्होंने एक सनहा (केस डायरी प्रविष्टि) दर्ज किया और SHO के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए और घटनास्थल पर मुखबिर (अ.सा. -6) का बयान दर्ज किया। SHO द्वारा घटनास्थल पर ही उन्हें जाँच का प्रभार दिया गया और मुखबिर (अ.सा. -6) का पुनः बयान दर्ज किया। उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा किया, जहाँ उत्तर में कर्णपुरा गाँव की ओर जाने वाली स्थायी सोलिंग सड़क, दक्षिण में दीवान तक जाने वाली स्थायी सोलिंग सड़क, पूर्व में झाखर राय की ज़मीन और पश्चिम में कपिलेश्वर राय की चाय की दुकान थी। इन विवरणों में घटनास्थल के पास कोई खाई नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने जाँच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (सीडीआर) भी हासिल किया और उस मोटरसाइकिल की तलाशी शुरू की, जिसे अपीलकर्ता-आरोपी ले गए थे। जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि उन्हें 19.04.2015 को लगभग 09:30 बजे जाँच का कार्यभार मिला, और 19.04.2015 को लगभग 05:30 बजे मुखबिर (अ.सा. -6) यानी फर्दबयान का बयान दर्ज किया। जाँच रिपोर्ट लगभग 04:45 बजे तैयार की गई, और घटना की सूचना लगभग 04:20 बजे पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना देते समय अपीलकर्ता-अभियुक्तों का नाम नहीं बताया गया था और स्पष्ट किया कि सूचना एस.एच.ओ. को मिली थी, उन्हें नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल पर खून फैला हुआ था, लेकिन उन्होंने केस डायरी में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि घटनास्थल पर कोई खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह संकेत मिले कि ऐसी कोई घटना घटी थी। उन्होंने बताया कि चाय की दुकान कपिलेश्वर नाम के व्यक्ति की थी और उन्होंने जाँच के दौरान अपना बयान दर्ज नहीं किया, जबकि उन्होंने कपिलेश्वर की चाय की दुकान पर चाय पी रहे लोगों का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल का

मालिक पंकज राय (मृतक) था। उन्होंने कहा कि गवाह दिलीप राय(अ.सा. -1) ने जाँच के दौरान बताया कि 19.04.2015 को, जब उन्हें खबर मिली कि उनके बहनोई पंकज राय की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, तो वे घटनास्थल पर गए और यह सूचना मिलने के बाद, वे अपने बहनोई से मिलने गए, जहाँ पहले से ही कई लोग जमा थे, जिन्होंने उन्हें घटना की जानकारी दी। यही तथ्य गवाह राकेश (अ.सा. -2) और नारायण राय (अ.सा. -4) के बारे में भी है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जाँच में खामियाँ हैं और वे आरोपी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं।

26. अ.सा. -10, ध्रुव नारायण हैं, जो इस मामले के आई/ओ भी हैं, जिन्होंने 07.09.2015 पर इस मामले की जांच का प्रभार संभाला। वह 10.03.2016 को स्थानांतरित हो गया और आगे की जांच का प्रभार थाना अध्यक्ष को सौंप दिया। उन्होंने जाँच के दौरान कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया और केवल दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 82 और 83 के प्रावधानों के अनुसार, विद्वान न्यायालय के निर्देशानुसार, मनोज राय, कैलाश राय (दोनों अपीलकर्ता-अभियुक्तों), निवासी दीवान टोक, थाना गंगा ब्रिज और बिपिन राय, पुत्र बच्चा राय, बच्चा राय, पुत्र जगदेव, अशोक राय उर्फ बच्चा राय, पुत्र सकलदेव राय को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के लिए प्रक्रिया जारी की।

27. डी.डब्ल्यू. 01, एक डॉक्टर हैं, जिनका नाम सुमन कांत सिंह है, जिन्होंने गवाही दी कि वे ए.एस. नर्सिंग होम, पटना सिटी में डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे और 15.04.2015 को कैलाश राय(अपीलकर्ता-अभियुक्तों), निवासी ग्राम दीवानटक, थाना- गंगा ब्रिज, जिला-वैशाली, को उक्त नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और वे 25.04.2015 तक भर्ती रहे। उन्होंने न्यायालय के समक्ष परामर्श की पहचान की, जिसे एक्सटेंशन ए और ए/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कैलाश राय, केवल 15.04.2015 को ही आए थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किए बिना इस 25.04.2015 तक बड़ा दिया गया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने झूठा परामर्श तैयार किया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि कैलाश राय बिना किसी गंभीर बीमारी के उक्त नर्सिंग होम में भर्ती हुए थे।

निष्कर्ष:

28. अ.सा. -1 और अ.सा. -2, दोनों मृतक पंकज राय के बहनोई हैं। यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि वे मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, जैसा कि बिंदा राय (सूचक /अ.सा. -6) के फरदबेयान (लिखित जानकारी) से प्रकट होता है, जिसे एक्स्ट 4. के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों द्वारा मृतक पर गोली चलाने और हंसिया से हमले की वास्तविक घटना से पहले, अ.सा. -6 को पास के गड्ढे में धकेल दिया गया था, लेकिन इस तथ्य का खुलासा अ.सा. -1 और अ.सा. -2 ने अपने मुख्य जिरह में नहीं किया था। अ.सा. -9, जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, ने यह विरोधाभास करते हुए बयान दिया कि ये दो गवाह यानी अ.सा. -1 और अ.सा. -2 घटना के बाद कपिलेश्वर चौक (पी. ओ.) पहुंचे और उन्होंने जांच के दौरान यह तथ्य बताया। फरदबेयान के अनुसार (एक्स्ट.- 8) और अ.सा. -1, केवल बिंदा राय (सूचक /अ.सा. -6) मल त्याग के लिए गए, लेकिन अ.सा. -2 के अनुसार पंकज राय (मृतक) और उनके पिता बिंदा राय (सूचक /अ.सा. -6) दोनों मल त्याग के लिए गए थे। दोनों गवाह यानी अ.सा. -1 और अ.सा. -2 यह गवाही देने में विफल रहे कि अपीलकर्ता-आरोपी घटना के बाद मृतक पंकज राय की मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर भाग गए। इन सभी कथनों को सूचना देने वाले/अ.सा. -6/बिंदा राय, जो मृतक के पिता हैं, ने घटना के चश्मदीद गवाह होने के नाते न्यायालय के समक्ष बयान दिया, जिन्होंने दावा किया कि वे अपने मृत बेटे के साथ थे। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनके मुख्य परीक्षण में इन भौतिक पहलुओं का कोई भी बयान घटना के स्थान पर अ.सा. -1 और अ.सा. -2 की उपस्थिति के बारे में संदेह पैदा नहीं करता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अ.सा. -1 और अ.सा. -2 द्वारा अपने बहनोई को अपीलकर्ता-अभियुक्तों के हाथ से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि जब अ.सा. -6 पेशाब कर रहा था, तब अ.सा. -1 और अ.सा. -2 कपिलेश्वर चौक पर मौजूद थे, जहाँ अपीलकर्ता-अभियुक्तों कथित रूप से सूचना देने वाले/अ.सा. -6 के बेटे को पकड़ते हुए पकड़े गए थे। रिश्तेदार और बहनोई होने के नाते, वे पंकज राय को बचाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में गंभीर संदेह पैदा करते हैं। ये दोनों गवाह मृतक से निकट संबंध रखते हैं और इसलिए सामान्य तर्क दिया जा सकता है कि अभियुक्तों व्यक्तियों के विरुद्ध उनके बयान स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण हैं। इस संदर्भ में, संबंधित गवाहों और अभियुक्तों के विरुद्ध शत्रुता रखने वाले गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित कानून को रिकॉर्ड पर रखना उचित है। **बलराजे उर्फ त्रिम्बक बनाम महाराष्ट्र राज्य,**

के मामले में, (2010) 6 एस. सी. सी. 673 में प्रतिवेदित, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब चश्मदीद गवाहों को अभियुक्तों के प्रति रुचि रखने और शत्रुतापूर्ण तरीके से निपटाने के लिए कहा जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचा लेंगे और निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ लेंगे। साक्ष्य की सच्चाई या अन्यथा को व्यावहारिक रूप से तौलना होगा। न्यायालय को संबंधित गवाहों और उन गवाहों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी, जो अभियुक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण रूप से गवाही देते हैं। लेकिन अगर उनके साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और जांच के बाद, गवाहों द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, इस प्रकार के गवाहों के साक्ष्य की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और यदि उनका साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। **दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364** में उच्चतम न्यायालय ने कंडिका -26 में इस प्रकार टिप्पणी की:

"26. एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आया हो जो दूषित होने की संभावना रखते हों और इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसे कोई कारण न हों, कि वह उसे झूठा फंसाना चाहता हो। आमतौर पर, कोई करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को छुपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने में सबसे आखिरी व्यक्ति होता है। यह सच है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और दुश्मनी का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी के साथ घसीटने की प्रवृत्ति होती है जिसके खिलाफ गवाह की कोई रंजिश हो,

लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार तैयार किया जाना चाहिए और केवल यह तथ्य कि संबंध आधार नहीं अक्सर सत्य की एक निश्चित गारंटी होती है। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे अवलोकन केवल उस बात का मुकाबला करने के लिए हैं जो अक्सर हमारे सामने आने वाले मामलों में विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में सामने रखी जाती है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए और उसके द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए।

इसी तरह, मसालती बनाम उ. प्र. राज्य में, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 में, कंडिका -14 में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:

“14.इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी आपराधिक न्यायालय को पक्षपातपूर्ण या रुचि रखने वाले गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की सराहना करनी होती है, तो उसे ऐसे साक्ष्य का वजन करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। साक्ष्य में विसंगतियाँ हैं या नहीं; सबूत न्यायालय को वास्तविक लगता है या नहीं; सबूत द्वारा प्रकट की गई कहानी संभावित है या नहीं, ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि

गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण या इच्छुक गवाहों का साक्ष्य है। अक्सर पर्याप्त, जहां गाँवों में गुट प्रबल होते हैं और ऐसे गुटों के बीच शत्रुता के परिणामस्वरूप हत्याएं की जाती हैं, आपराधिक न्यायालय को पक्षपातपूर्ण प्रकार के साक्ष्य से निपटना पड़ता है। एकमात्र आधार पर इस तरह के साक्ष्य की यांत्रिक अस्वीकृति कि यह पक्षपातपूर्ण है, हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगी। इस बारे में कोई कठोर और तेज नियम नहीं बनाया जा सकता है कि कितने सबूतों की सराहना की जानी चाहिए। न्यायिक दृष्टिकोण को ऐसे साक्ष्य से निपटने में सतर्क रहना होगा; लेकिन यह दलील कि इस तरह के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है, सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य, (2005) 9 एस. सी. सी. 195, उच्चतम न्यायालय ने कंडिका -6 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

“6. कानून में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठा गवाह माना जाए। इसके विपरीत, जब यह दिखाने के लिए पक्षपात की याचिका दायर की जाती है कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का कारण था, तो कारण दिखाया जाना चाहिए।”

नामदेव बनाम महाराष्ट्र, (2007) 14 एस. सी. सी. 150, में उच्चतम न्यायालय की कंडिका

38 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं

“38. ... यह स्पष्ट है कि एक करीबी रिश्तेदार को "इच्छुक" गवाह के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वह एक "स्वाभाविक" गवाह है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि इस तरह की जांच पर, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो दोषसिद्धि ऐसे गवाह की "एकमात्र" गवाही पर आधारित हो सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आम तौर पर वास्तविक अपराधी को छोड़ने और किसी निर्दोष को गलत तरीके से फंसाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होता है।”

इसके अलावा, पी.डब्लू -2 का बयान पी डब्लू-6 के बयानों से अलग नोट पर भी दिखाई देता है क्योंकि पी डब्लू-2 ने यह बयान दिया था कि घटना के बाद, अपीलकर्ता-अभियुक्तों उत्तर दिशा की ओर भागे, जबकि पी डब्लू-6 ने यह बयान दिया था कि अपीलकर्ता-अभियुक्तों पश्चिम दिशा की ओर भागे। पी डब्लू-2 ने विशेष रूप से यह बयान दिया था कि अपीलकर्ता-अभियुक्तों द्वारा पाँच राउंड गोलीबारी की गई थी, जबकि यह एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी (सूचनादाता) पी डब्लू-6 के बयान के विपरीत प्रतीत होता है, जिसने लगभग 10-12 राउंड गोलीबारी की बात कही थी। अतः, एक प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते उपरोक्त विरोधाभासी बयानों और चर्चा के अनुसार कानूनी अनुपात के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि (पी डब्लू-1 और पी डब्लू-2) के बयान विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं और मृतक पंकज राय के करीबी रिश्तेदार/साले होने के कारण अपीलकर्ता-अभियुक्तों के प्रति प्रतिकूल प्रतीत हो रहे हैं।

29. पी डब्लू -3, नाम उमेश राय, पी डब्लू -4, नाम नारायण राय और पी डब्लू -5, नाम वकील राय, संबंधित अपराध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि पी डब्लू -3, नाम

उमेश राय अपने खेत से लौट रहा था और लौटते समय वह 19.04.2015 को लगभग 04:00 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुँचा। पी डब्लू -5 वकील राय के साथ भी यही स्थिति है, वह भी अपने खेत से लौट रहा था और लौटते समय 19.04.2015 को लगभग 04:00 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुँचा। पी डब्लू -4 एक वाहन चालक है और जब वह गेहूँ पहुँचाने के लिए किसी अन्य गाँव जा रहा था, तो वह 19.04.2015 को लगभग 04:00 बजे अपराह्न कपिलेश्वर चौक, अर्थात् घटनास्थल पर पहुँचा।

30. अब जिस तथ्य का परीक्षण किया जाना है, वह यह है कि क्या इन आकस्मिक साक्षियों की उपस्थिति स्वाभाविक है अथवा वे प्रक्षेपित आकस्मिक साक्षी हैं। अ.सा. -3 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों उसे जानते थे। वह यह भी बताने में विफल रहे कि घटना के दौरान अ.सा. -6 यानी सूचना देने वाले को पास की खाई में धकेल दिया गया था। आगे गवाहों के जाँच के रूप में यह प्रतीत होता है कि उसने गवाही दिया कि टी-शर्ट और जींस का रंग लाल और काला था, जबकि जाँच रिपोर्ट (एक्स 5) के अनुसार दोनों का रंग लाल था। ये गवाह यह बताने में भी विफल रहे कि अपीलकर्ताओं-आरोपी मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर पश्चिम दिशा की ओर भाग गए। आगे अ.सा. -3 ने कहा कि चाय की दुकान पर, घटना के दौरान, वह अ.सा. -1 दिलीप राय, अ.सा. -2 राकेश राय और अ.सा. -5 वकील राय के साथ मौजूद था।

31. अ.सा. -4, नाम नारायण राय, जो इस घटना के आकस्मिक चश्मदीद भी प्रतीत होते हैं, ने अपनी जिरह में कहा कि घटना के समय कपिलेश्वर राय की चाय की दुकान पर कोई भी मौजूद नहीं था। अ.सा. -4 के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि हालांकि वह अपीलकर्ता-आरोपी कैलाश राय और बिपिन राय का नाम जानता है, लेकिन अपने मुख्य परीक्षण में हमलावरों के रूप में उनका नाम दर्ज करने में विफल रहा, यह कहते हुए कि पंकज को किसी और द्वारा काटा गया था, बिना नाम निर्दिष्ट किए। उन्होंने जिरह में यह भी गवाह दिया कि पंकज के जमीन पर गिरने पर कपिलेश्वर की चाय की दुकान पर कोई मौजूद नहीं था, जो अ.सा. -3 के बयान के विपरीत प्रतीत होता है कि चाय की दुकान पर घटना के समय दिलीप राय अ.सा. -1, राकेश अ.सा. -2, अधिवक्ता अ.सा. -5 और एक और व्यक्ति मौजूद थे। अ.सा. -4 के बयान के अनुसार, सूचक/अ.सा. -6, एक (1) लग्गी की दूरी पर पेशाब कर रहा था, जो अ.सा. -6 के स्वयं के बयान को देखते हुए भी गलत प्रतीत होता है,

जहाँ उसने कहा था कि वह घटनास्थल से लगभग 15 लग्गी की दूरी पर पेशाब कर रहा था, जिससे घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में और संदेह पैदा होता है।

32. अ.सा. -5 भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करता है, लेकिन उसने अन्य प्रत्यक्षदर्शियों, जैसे अ.सा. -1, अ.सा. -3 और अ.सा. -4, से अलग बयान दिया कि वाहन रोकने के बाद, पंकज राय (मृतक) भी पी डब्लू-6 के साथ शौच के लिए गया था, जबकि सूचक/पी डब्लू -6 के अनुसार, केवल वह ही शौच के लिए गया था। सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने विशेष रूप से बयान दिया कि पुलिस घटनास्थल पर गई थी और खून फैला हुआ स्थान भी देखा था और खाली कारतूस भी जब्त किए थे, लेकिन इस मामले के अनुसंधान अधिकारी, जिसकी पी डब्लू -9 के रूप में जाँच की गई है, ने इस तथ्य का खंडन किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यद्यपि घटनास्थल पर खून फैला हुआ था, लेकिन उसने केस डायरी में इस तथ्य की प्रविष्टि नहीं की और यह भी बयान दिया कि वहाँ कोई खाली कारतूस नहीं मिला। एक कदम आगे बढ़ते हुए, अभियुक्तों-9 ने विद्वान निचली अदालत के समक्ष कहा कि घटनास्थल पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह पता चले कि ऐसी कोई कथित घटना घटी थी। ये विरोधाभास घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उनके बयान को और भी संदिग्ध बनाते हैं।

33. उपरोक्त भौतिक पहलुओं पर विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अ.सा. -3, अ.सा. -4 और अ.सा. -5 भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति को एक संयोग के रूप में चिह्नित करके प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया है और इसके अलावा वे सूचना देने वाले पक्ष के रिश्तेदार भी प्रतीत हो रहे हैं। उनकी उपस्थिति को घटना के स्थान पर एक अवसर के रूप में चिह्नित करके चशमदीद गवाह के रूप में पेश किया जाता है और इसके अलावा वे सूचना देने वाले पक्ष के रिश्तेदार भी दिखाई देते हैं।

34. इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण गवाह, जो एक चशमदीद होने का भी दावा कर रहा है, वह सूचना देने वाला/अ.सा. -6 है, जिसका नाम है, बिंदा राय, जो मृतक का पिता है और उसने अपने मृतक बेटे के साथ घर से ही उसी मोटरसाइकिल पर जाने का दावा किया था और जैसे ही वे घटना स्थल यानी कपिलेश्वर चौक पर पहुंचे, उसने मोटरसाइकिल रोक दी और प्राकृतिक कृत्या के लिए गया और जब सार्वजनिक खतरे के बारे

में सुना गया, तो उसने पाया कि उसका बेटा अपीलकर्ताओं से घिरा हुआ था-आरोपी बंदूक और दरांती (हंसुआ) उठा रहा था, वह उसे बचाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन अपीलकर्ताओं - अभियुक्तों द्वारा उसे पास की खाई में धकेल दिया गया। अपनी जिरह में, उन्होंने गवाह दिया कि गोली चलाने और हंसिया से हमला करने के बाद, अपीलकर्ता-आरोपी भाग गए और उसके बाद ही, उन्हें खाई से उठा लिया गया और अपने बेटे के पास आए, जहां उन्होंने पाया कि अपीलकर्ता-आरोपी पश्चिमी दिशा की ओर भागे, जो कि अ.सा. -2 के बयान को देखते हुए भी संदिग्ध लग रहा है, जिसने उत्तर की ओर भागने की बात कही थी। वह घटना के स्थान पर कोई खाली कारतूस रखने में भी विफल रहा। वह यह भी बताने में असफल रहे कि उन्हें खाई से किसने निकाला उनके बयान को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि गोलीबारी और दरांती से हमले की वास्तविक घटना के समय, वह घटनास्थल के पास खाई के अंदर थे और इस प्रकार, मुख्य परीक्षा में उनका बयान, अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों का नाम लेना, गोलीबारी और उनके मृत बेटे पर हंसिया से हमले का विवरण देना, संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वास्तविक घटना के दौरान वह खाई के अंदर थे ।

35. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई भौतिक विरोधाभास हैं, जो घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहे हैं अर्थात् अ.सा. -1, अ.सा. -2, अ.सा. -3, अ.सा. -4 और अ.सा. -5। यह भी प्रतीत होता है कि सूचना देने वाले/अ.सा. -6 को वास्तविक गोलीबारी शुरू करने से पहले, घटना के स्थान पर, पास की खाई में धकेल दिया गया था और जब उसे खाई से उठाया गया था, तब तक अपीलकर्ता-आरोपी पश्चिमी दिशा की ओर भाग गए थे, जिससे पूरे अभियोजन मामले पर गंभीर संदेह पैदा हो गया था और पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के बारे में संदेह पैदा हो गया था।

36. *गुना महतो बनाम झारखंड राज्य* के मामले में (2023) 6 एस. सी. सी. 817 में प्रतिवेदित, के कंडिका 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया था जो निम्नानुसार है:-

17. हम दोहराना चाहते हैं कि, संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए प्रस्तुत की गई

कहानी में केवल एक संदेहास्पद रंग ही है।
 [वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य, 2022
 एससीसी ऑनलाइन एससी 765; शत्रुघ्न
 बबन मेश्राम बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 1
 एससीसी 596; पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,
 (2022) 10 एससीसी 321]।उपरोक्त के
 अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है:
 प्रत्यक्ष,परिस्थितिजन्य या अन्यथा, जो
 अभियुक्तों के अपराध को स्थापित कर सके।
 अभियुक्तों को उस अपराध से जोड़ने वाले
 किसी भी तथ्य की कोई खोज नहीं हुई है
 जिसे सिद्ध किया जाना है, और अभियोजन
 पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे स्थापित करना
 तो दूर की बात है।

37. यह सुनिश्चित करना हमारा परम कर्तव्य है कि न्याय की विफलता से हर
 कीमत पर बचा जाए और संदेह का लाभ, यदि कोई हो, अभियुक्तों को दिया जाए, वे
 सिद्धांत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम म.प्र.राज्य*,
(1952) 2 एस. सी. सी. 71 में प्रतिवेदित के मामले में निर्धारित किए गए थे।

38. तदनुसार, दोनों अपीलों को अनुमति दी जाती है क्योंकि अभियोजन पक्ष
 उपरोक्त नामित अपीलकर्ताओं -अभियुक्तों के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने में
 विफल रहा।

39. अतः,हाजीपुर के वैशाली के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-॥ द्वारा 2015 का
 गंगा ब्रिज थाना मामला संख्या 34 से उत्पन्न सत्र 2016 का विचारण संख्या 247 के
 संबंध में पारित दोषसिद्धि का दिनांक 09.03.2018 का निर्णय और दिनांक 14.03.2018 का
 सजा आदेश निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं, अर्थात् मनोज
 राय और कैलाश राय, 2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 507 में और बच्चा राय
 और बिपिन राय, 2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 484 में, उन्हें संदेह का लाभ

देते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

40. निचली न्यायालय के अभिलेख इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान न्यायालय को वापस भेजे जाएँ। अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों द्वारा जमा किया गया कोई भी जुर्माना, यदि कोई हो, उन्हें तत्काल वापस किया जाए।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस.कात्यायन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।